

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर य ल अहकाम जो हुकम की ल में जारी
	<p>लम्बा 2.51 है। सहन से दूट गमा जबकि दमा राजा में उक्त ख. नं. दर्ज है तथा राजीनामा के अनुसार निर्णय व डिक्री में भी उक्त ख. नं. दर्ज है तथा राजीनामा के अनुसार निर्णय व डिक्री में भी उक्त ख. नं. 1244 अंकित होने से रह गया है। इसलिए न्यायहित में निर्णय व डिक्री में ख. नं. 1239, 1242 के उक्त ख. नं. 1244 और अंकित किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।</p> <p>अतः वकील डिक्री का उद्योग पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय व डिक्री एवं आशय की जारी की जाती है कि:-</p> <p style="text-align: center;"><u>उपादेश</u></p> <p>तन ग्राम चक खर्जला नं. 1 प. ह. कासडी तहसील खर्जला अवस्थित खसि भूमि ख. नं. 73, 74, 76 लम्बा 1.70 है. में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा सम्पूर्ण व वादी नं. 2 ता 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण का खर्जला वादी सं. 1 को अतः न्याय न्यायतः घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 व वादी सं. 2 ता 5 का नाम हजफ किया जाता है तथा तन ग्राम घाजगा प. ह. कासडी अवस्थित खसि भूमि ख. नं. 752 लम्बा 1.39 है. में से 31/139 हिस्सा का वादी सं. 1 को अतः न्याय न्यायतः घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाता है शेष 102/139 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के बदलकर होगा। तन ग्राम कालीखंडा प. ह. कासडी अवस्थित खसि भूमि ख. नं. 87, 88, 89, 94 लम्बा 1.81</p>	



है। मैंने एच. नं. 83 सम्पूर्ण हिस्सा का व एच. नं.
87 व 94 के 1/2 हिस्सा का बगीचा सं.। जो जलसंचयन
कार्यवाही चालू किया जाता है तथा उक्त एच. नं.
83 से एवं एच. नं. 87 व 94 के 1/2 हिस्सा से
अधिकारी सं.। व बगीचा सं. 2 ग 5 का जल हस्तांतरण
किया जाता है। इस माध्यम राधपुरा जलसंचयन कार्य
श्री एच. नं. 1240, 1243 एका 3.51 है. व श्री
एच. नं. 1239, 1242, 1244 एका 4.58 है. मैंने एच.
144/448 हिस्सा का बगीचा सं.। जो एवं 200/448
हिस्सा का बगीचा सं. 2 ग 5 जो जलसंचयन कार्यवाही
चालू किया जाता है रीस 12/448 हिस्सा अधिकारी
सं.। मैंने जल बहाव देगा। उक्तद्वारा एका
रेकॉर्ड में उक्त नाम है। तदनुसार एका
डिक्री जारी है। फलवती जलसंचयन द्वारा जल
तन्त्र है जो एच. नं. 144/448 एका 4.58 व 200/448
एका 4.58 से। निर्गम जल संचयन में उक्त
गया। फलवती प्र. जलसंचयन रेकॉर्ड में शामिल
है।

संशोधन प्रमाण
(SAS)
संशोधन प्रमाण
(SAS) जारी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री प्राणेश शाख, RAS

उनवान

① तामनात्मक खनाम ② चीट *

दावा बाबत ईस्तकाल हक व स्वामी निषेधाता

मुकदमा नम्बर :- 26/2018

निर्णय दिनांक :- 18/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री प्राणेश शाख, RAS व हाजिर

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री राजेश कुमार शीवा

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तत ग्राम चक खण्डेला तं. 1 प. ह. बालडी तहसील खण्डेला अस्थित कृषि भूमि

ख. नं. 73, 74, 76 क्वा. 1.70 हे. में बाड़ी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज

सम्पूर्ण व बाड़ी तं. 2 त. 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण का अकेला बाड़ी सं. 1 व

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सों से प्रतिवादी सं. 1

बाड़ी सं. 2 त. 5 का नाम हजफ किया जाता है तथा तत ग्राम पालणा प. ह. का

अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 752 क्वा. 1.39 हे. में से 31/139 हिस्सा का बाड़ी सं. 1

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा *

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज दिनांक 18/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री प्राणेश शाख
(श्री प्राणेश शाख)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

* पुत्र बालराम

② मूलचन्द ③ शंकरलाल ④ सुन्दर ⑤ मुकेश पुत्रगण नारायण
जाति कुम्हार निवासी अठकीघा तहसील रामपुरा तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज.)

— वादीगण



बनाम

* पुत्र बालराम जाति कुम्हार निवासी अठकीघा तहसील रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

⑥ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.)

— उत्तिवादीगण

* उक्त हिस्से से उत्तिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाता है शेष 102/139 हिस्सा उत्तिवादी सं. 1 के ब्यस्तूर रहेगा। तन ग्राम कालीखंडा प.ह. बालरी स्थित कृषि भूमि ख. नं. 87, 88, 89, 94 लम्बा 1.81 हे. में से ख. नं. 89 सम्पूर्ण हिस्सा का व ख. नं. 87 व 94 के 1/2 हिस्सा का वादी सं. 1 को खार्तदार कारतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त ख. नं. 89 से एवं ख. नं. 87 व 94 के 1/2 हिस्सा से उत्तिवादी सं. 1 व वादी सं. 2 ता 5 का नाम हजफ किया जाता है। तन ग्राम रामपुरा अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 1240, 1243, ~~1244~~ लम्बा 3.81 हे. व भूमि ख. नं. 1239, 1242¹²⁴⁴ लम्बा 4.56 हे. में से 146/418 हिस्सा का वादी सं. 1 को एवं 200/418 हिस्सा का वादी सं. 2 ता 5 को खार्तदार कारतकार घोषित किया जाता है शेष 72/418 हिस्सा उत्तिवादी सं. 1 के नाम ब्यस्तूर रहेगा। अतानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दायम हो।

18/6/18
बगीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला